



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072020-220668
CG-DL-E-24072020-220668

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281]
No. 281]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2020/श्रावण 2, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2020/SRAVANA 2, 1942

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2020

फा.सं. ए-105/एम.आर./एन.सी.डी.आर.सी./2020.—राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, केंद्रीय सरकार के पूर्ववर्ती अनुमोदन से, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (मध्यकता) विनियमन, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
 - (क) “अधिनियम” से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) अभिप्रेत है;
 - (ख) “उपभोक्ता आयोग” से अधिनियम की धारा 28 के तहत जिला में स्थापित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अधिनियम की धारा 42 के तहत किसी राज्य में स्थापित राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग या अधिनियम की धारा 53 के तहत स्थापित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अभिप्रेत है।
 - (ग) “मध्यकता प्रकोष्ठ” से धारा 74 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित उपभोक्ता मध्यकता प्रकोष्ठ अभिप्रेत है और इनमें राष्ट्रीय आयोग की प्रादेशिक न्यायपीठों से संबद्ध उपभोक्ता मध्यकता प्रकोष्ठ सम्मिलित हैं;

- (घ) “ पक्षकार ” से उपभोक्ता विवाद अथवा उपभोक्ता आयोग के पास लंबित अन्य कार्यवाहियों से संबंधित पक्षकार अभिप्रेत है।
- (ङ) “ नियम ” से अधिनियम के तहत बनाए गए नियम अभिप्रेत है।
- (च) “ धारा ” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।
- (छ) ‘व्यवस्थापन’ से उपभोक्ता आयोग के समक्ष लंबित उपभोक्ता विवादों में शामिल सभी अथवा कतिपय मुद्दों के संबंध में मध्यस्थता की कार्रवाई से प्राप्त व्यवस्थापन अभिप्रेत है;
- (ज) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं किंतु यथास्थिति अधिनियम या नियम में है, वही अर्थ होंगे।

3. मध्यस्थ के रूप में पैनलबद्ध होने के लिए पात्रता- (1) निम्नलिखित व्यक्ति मध्यस्थता प्रकोष्ठ में पैनलबद्ध होने के पात्र होंगे-

- (i) भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश,
- (ii) उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश,
- (iii) उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य;
- (iv) सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और राज्य के उच्च न्यायिक सेवाओं के अन्य सेवानिवृत्त सदस्य;
- (v) दस वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी;
- (vi) वकालत में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता;
- (vii) भारत के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ में पैनलबद्ध मध्यस्थ।
- (viii) मध्यकता/सुलह में न्यूनतम पांच वर्षों का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति।
- (ix) न्यूनतम पंद्रह वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृत्तिक अथवा सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी।

4. पैनलबद्ध के लिए निरर्हता- (1) निम्नलिखित व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में पैनलबद्ध होने के लिए अनर्ह माने जाएंगे, अर्थात् -

- (i) ऐसा व्यक्ति जिसे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत घोषित किया गया हो;
 - (ii) ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी दंड न्यायालय द्वारा ऐसे आपराधिक आरोप जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, लगाए गए हों और लंबित पड़े हों;
 - (iii) ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी अपराध के लिए दंड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हेतु सिद्धदोष ठहराया गया है;
 - (iv) ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध समुचित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ की गई हो और लंबित हो अथवा दण्ड दिया गया हो।
- (2) ऐसा व्यक्ति, जो उपभोक्ता विवाद के विषय में हितबद्ध रखता हो अथवा उससे संबंधित हो अथवा जो वृत्तिक क्षमता सहित किसी भी रीति में उपभोक्ता विवाद में किसी भी पक्ष या उसके किसी सहभागी, सहयोगी,

प्रोमोटर्स, मूल कंपनी, अनुषंगी कंपनी, भागीदारों, निदेशकों या कर्मचारी इत्यादि से संबंधित हो अथवा संबद्ध हो अथवा से जुड़ा हुआ हो, तो इस मामले में मध्यस्थ के रूप में नामनिर्दिष्ट होने के लिए अनर्ह होगा।

5. **मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने की प्रक्रिया-** (1) प्रत्येक उपभोक्ता आयोग कम से कम एक अंग्रेजी तथा अपने अधिकार-क्षेत्र में एक स्थानीय समाचारपत्र में एक नोटिस के प्रकाशन द्वारा मध्यस्थ के रूप में पैनलबद्ध करने के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।
 - (2) मध्यस्थ के रूप में पैनलबद्ध करने हेतु मध्यस्थता प्रकोष्ठ में प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा की जाएगी तथा धारा 75 के उप-धारा (1) के तहत गठित चयन समिति के समक्ष पात्र आवेदनों को प्रस्तुत किया जाएगा।
 - (3) चयन समिति उसकी सिफारिश और उपयुक्तता, अखंडता और अभ्यर्थियों के सुसंगत अनुभव को ध्यान में रखने के बाद एक पैनल, जिसे उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा, की सिफारिश करेगी।
 - (4) मध्यस्थता पैनल में उपभोक्ता आयोग से जुड़े मध्यस्थता प्रकोष्ठों में इन व्यक्तियों की संख्या उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होगी।
 - (5) पैनल में शामिल व्यक्तियों की सहमति उन्हें पैनलबद्ध किए जाने से पूर्व अभिप्रास करनी होगी।
 - (6) मध्यस्थता प्रकोष्ठ की अध्यक्षता उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।
6. **मध्यस्थ को हटाना** – यदि कोई मध्यस्थ अनर्ह पाया जाता है अथवा मध्यस्थ के रूप में किसी प्रकार से कदाचार करता है अथवा मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, मध्यस्थता प्रकोष्ठ उसकी बात सुने जाने का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात मध्यस्थ पैनल से उसका नाम हटा सकता है।
7. **मध्यस्थों को पुनः पैनलबद्ध करना-** पुनः पैनलबद्ध किए जाने हेतु केवल वही सदस्य पात्र होंगे जिन्होंने पैनलबद्ध मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यों का सफलतापूर्वक तथा निपुणता से निष्पादन किया हो और पुनःपैनलबद्ध करके चयन समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा।
8. **मध्यस्थों का फीस-** (1) ऐसे मध्यस्थ, जो मामले के उसे संदर्भित किए जाने से उसके निष्कर्ष तक, मध्यस्थता की कार्यवाही का संचालन करता है, को सफल मध्यस्थता के लिए एक समेकित फीस का भुगतान किया जाएगा।
 - (2) संबंधित उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष द्वारा, मामले-वार, विवाद की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए लिपिकीय सहायता और अन्य सहायक व्यय लागतों सहित उपभोक्ता आयोग में पैनलबद्ध मध्यस्थ के फीस का निर्धारण किया जाएगा।
 - (3) असफल मध्यस्थता के मामले में मध्यस्थ को उपरोक्त फीस की आधी फीस का संदत्त किया जाएगा।
 - (4) मध्यस्थ का फीस दोनों पक्षकारों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।
 - (5) ऐसा मध्यस्थ, किसी कार्यवाही के भाग का सफल संचालन करता है, को उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष द्वारा नियत फीस का भुगतान किया जाएगा।
 - (6) मध्यस्थता प्रकोष्ठ में फीस का अग्रिम जमा किया जाएगा।
 - (7) यदि कोई पक्षकार फीस और/ या मध्यस्थता की लागत का अपना भाग जमा नहीं करता, उपभोक्ता आयोग मध्यस्थ या किसी अन्य पक्षकार के आवेदन पर चूक पर पक्षकार को इसे एक सप्ताह के भीतर जमा करने का निर्देश दे सकता है और यदि
 - (i) वह यह फीस और/ अथवा लागत को जमा करने में असफल रहता है, तो उपभोक्ता आयोग अन्य पक्षकारों को इसे जमा करने की अनुज्ञा दे सकता है और सिविल न्यायालय द्वारा धन संबंधी डिक्री के निष्पादन के लिए निर्धारित रीति से चूककर्ता पक्षकारों से उसी राशि की वसूली कर सकता है;

(ii) कोई भी अन्य पक्षकार चूककर्ता पक्षकार के भाग को जमा नहीं करता है तो उपभोक्ता आयोग मध्यस्थता कार्यवाही को पर्यवसान कर सकता है।

9. **प्रशिक्षण-** मध्यस्थों को मध्यस्थता प्रकोष्ठ द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञों द्वारा मध्यस्थता के संचालन के लिए समुचित प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस तरह के प्रशिक्षण में भाग लेना उनके लिए बाध्यकारी होगा।

10. **आचार संहिता –** पैनलबद्ध मध्यस्थ मध्यस्थता के दौरान किसी पक्षकार अथवा उनके किसी काउंसेल की उपस्थिति के सिवाय, मध्यस्थता कार्यवाही की विचाराधीन अवधि के दौरान किसी भी पक्षकार या उनके सहभागी, सहयोगी, संबद्धों, प्रवर्तकों, मूल कंपनी, सहायक कंपनी, निदेशकों, भागीदारों या कर्मचारियों आदि के साथ या उनके किसी काउंसेल के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क नहीं कर सकते।

(2) पैनलबद्ध मध्यस्थ किसी भी पक्षकार या उसके सहभागियों, संबद्धों, प्रवर्तकों, मूल कंपनियों, सहायक कंपनियों, निदेशकों, भागीदारों या कर्मचारियों अथवा उनके किसी काउंसेल से कोई भी उपहार या सत्कार नहीं ले सकेगा।

(3) धारा 77 के खण्ड (क) और खंड (ख) के तहत अपेक्षित प्रकटन के अलावा, प्रत्येक मध्यस्थ उसे सौंपे गए मामले में मध्यस्थता आरम्भ करने से पहले निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण करेगा, अर्थात् :

(i) क्या वह वर्तमान में या विगत में उपभोक्ता विवाद या अन्य कार्यवाही के किसी भी पक्षकार या उसके सहभागी, संबद्धों, मूल कंपनी, अधीनस्थ कंपनी, निदेशक, भागीदारों या कर्मचारियों से या किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार से किसी भी निजी; कारबार या वृत्ति संबन्धों में जुड़ा हुआ है;

(ii) क्या ऐसी कोई परिस्थिति में विद्यमान है जिसमें उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता पर युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न हो सकता है।

11. **मध्यस्थता कार्यवाही-** (1) मध्यस्थता पक्षकारों अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों या काउंसेलों की उपस्थिति में की जाएगी।

(2) मध्यस्थता मध्यस्थ के समक्ष प्रथम उपस्थिति की तारीख से तीन माह की अवधि पूरी होने पर समाप्त हो जाएगी जब तक कि उपभोक्ता आयोग द्वारा मध्यस्थता समापन की अवधि को बढ़ाया न गया हो, जिस मामलों में यह उस बढ़ाए गए समय के पूरा हो जाने पर समाप्त कर दी जाएगी।

(3) पक्षकार व्यक्तिगत रूप से या उनके संबंधित काउंसेल, या प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से मध्यस्थ के समक्ष उपसंज्ञात होने के पात्र होंगे।

(4) मध्यस्थ नैसर्गिक न्याय और निष्पक्ष भूमिका के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा किंतु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के उपबंधों द्वारा बाध्य नहीं होगा।

(5) यदि पक्षकार मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान भाग नहीं लेता है, उपभोक्ता आयोग उस पक्षकार को कार्यवाही में भाग लेने का निदेश दे सकेगा।

(6) पक्षकार मध्यस्थ को मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन के लिए युक्तियुक्त आवश्यकतानुसार ऐसी सभी जानकारी प्रदान करेगा।

(7) प्रत्येक सुनवाई की तारीख पर मध्यस्थ द्वारा कार्यवाही का अभिलेख तैयार किया जाएगा और पक्षकारों या उनके काउंसेलों, प्राधिकृत प्रतिनिधियों या अटर्नियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(8) पक्षकारों के बीच निष्पादित करार को मध्यस्थ द्वारा उपभोक्ता आयोग को एक सीलबंद लिफाफे में अग्रेषण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

- (9) यदि इन विनियमों में विहित समय के भीतर पक्षकारों के बीच कोई करार नहीं किया जाता है तो मध्यस्थ उपभोक्ता आयोग को मध्यस्थता के दौरान क्या उजागर हुआ, पक्षकारों द्वारा क्या निर्णय लिया गया अथवा समझौता क्यों नहीं हो सका के बारे में कोई भी प्रकटीकरण किए बिना सूचित करेगा।
- 12. मध्यस्थ की भूमिका –** (1) मध्यस्थ पक्षकारों के बीच विवाद के स्वैच्छिक संकल्प की सुविधा का प्रयास करेगा, यदि कोई गलतफहमी हो तो उसे दूर करने में सहायता करेगा, और उनके विवादों को निपटाने के लिए कदम उठाएगा किंतु पक्षकारों पर कोई शर्त या व्यवस्थापन लागू नहीं करेगा।
- (2) मध्यस्थ पक्षकारों के समक्ष व्यवस्थापन की शर्तों पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करने से पहले उनकी व्याख्या करेगा।
- 13. गोपनीयता –** (1) पक्षकारों और मध्यस्थ मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान ज्ञात होने वाली घटनाओं के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेंगे और मध्यस्थ कार्यवाही के दौरान प्रस्ताव और अभिव्यक्त विचारों से उत्पन्न किसी भी सूचना, दस्तावेज इत्यादि पर निर्भर नहीं होगा।
- (2) मध्यस्थता कार्यवाही की कोई श्रव्य या दृश्य रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी।
- 14. संचार –** मध्यस्थ सभी पक्षकारों को प्रतियों सहित अपनी रिपोर्ट के सिवाय, उपभोक्ता आयोग से संपर्क नहीं करेगा।
- 15. प्रतिरक्षण –** (1) कोई भी मध्यस्थ, वास्तविक रूप से, मध्यस्थ के रूप में उसके द्वारा किए गए अथवा किए जाने से छूट गए किसी कार्य के लिए किसी सिविल अथवा दांडिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (2) मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान प्राप्त किसी भी सूचना या उसके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में गवाही देने के लिए किसी पक्षकार द्वारा मध्यस्थ को किसी न्यायालय या अन्य फोरम में उपसंज्ञात होने के लिए समन नहीं किया जाएगा।
- 16. रिपोर्ट –** (1) प्रत्येक मध्यस्थता प्रकोष्ठ उससे संलग्न राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग को एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित सूचना शामिल होंगे:
- (क) प्रत्येक के अनुभव और अर्हता सहित पैनलबद्ध मध्यस्थों की सूची;
- (ख) तिमाही के प्रारंभ में लंबित मामलों की संख्या;
- (ग) तिमाही के दौरान संदर्भित किए गए मामलों की संख्या;
- (घ) तिमाही के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या;
- (ङ) तिमाही के अंत में लंबित मामलों की संख्या;
- (च) प्रत्येक मध्यस्थ को सौंपे गए मामलों की संख्या, तिमाही के दौरान उसके द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या और उन मामलों की संख्या जिनमें उसे संदर्भित मध्यस्थता सफल रही;
- (छ) उन मामलों की संख्या, जो मध्यस्थ सफल नहीं था;
- (ज) तिमाही के दौरान प्रत्येक मध्यस्थ को संदत्त किया गया फीस
- (2) प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

एस. हनुमंथा राव, संयुक्त पंजीयक

[विज्ञापन III/4/असा./138/2020-21]

NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th July, 2020

F. No. A-105/MR/NCDR/2020.—In exercise of the powers conferred by section 103 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the National Consumer Disputes Redressal Commission, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Consumer Protection (Mediation) Regulations, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, —
 - (a) “Act” means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);
 - (b) “Consumer Commission” means a District Consumer Disputes Redressal Commission established in a District under section 28 of the Act, a State Consumer Disputes Redressal Commission established in a State under section 42 of the Act or the National Consumer Disputes Redressal Commission established under section 53 of the Act;
 - (c) “Mediation Cell” means a Consumer Mediation Cell established under sub-section (1) of section 74 and includes the Consumer Mediation Cell attached to the regional benches of the National Commission.
 - (d) “party” means a party to a consumer dispute or any other proceeding pending before a Consumer Commission.
 - (e) “rules” mean the rules made under the Act;
 - (f) “section” means a section of the Act;
 - (g) “settlement” means a settlement arrived at in the course of a mediation proceeding in respect of all or some of the issues involved in a consumer dispute pending before a Consumer Commission.
 - (2) The words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act or the rules shall have the meaning as assigned to them in the Act or in the rules, as the case may be.
3. **Eligibility for empanelment as mediator.**—The following persons shall be eligible to be empanelled with a Mediation Cell—
 - (i) retired Judges of Supreme Court of India;
 - (ii) retired Judges of the High Courts;
 - (iii) retired Members of a Consumer Commission;
 - (iv) retired District and Session Judges, retired Additional District and Session Judges or other retired Members of the Higher Judicial Services of a State;
 - (v) retired Judicial officers, having experience of not less than ten years;
 - (vi) an advocate with a minimum experience of ten years at Bar;
 - (vii) the mediators empanelled with the Mediation Cell of the Supreme Court of India, High Court or a District Court;
 - (viii) a person having experience of at least five years in mediation or conciliation;
 - (ix) experts or other professionals with at least fifteen years’ experience or retired senior bureaucrats or retired executives.
4. **Disqualifications for empanelment.**—(1) The following persons shall be disqualified for being empanelled as a Mediator, namely:-
 - (i) a person who has been adjudged as insolvent;
 - (ii) person against whom criminal charges involving moral turpitude are framed by a criminal court and are pending;
 - (iii) a person who has been convicted by a criminal court for any offence involving moral turpitude;

- (iv) a person against whom disciplinary proceedings have been initiated by the appropriate disciplinary authority and are pending or have resulted in a punishment.
- (2) A person who is or has been interested in or connected with the subject matter of the consumer dispute or is related to or has been associated or connected in any manner, including in a professional capacity, with any of the parties to the consumer disputes or any of their associates, affiliates, promoters, holding companies, subsidiaries companies, partners, directors or employees, shall be disqualified for being nominated as a mediator in that case.
- 5. Procedure for empanelment of mediator.**—(1) Each Consumer Commission shall invite applications from eligible persons for empanelment as mediators, by publication of a notice in at least one English and one vernacular newspaper widely circulated in its jurisdiction.
- (2) The applications received by the Mediation Cell for empanelment as mediator shall be scrutinized and the list of eligible applications shall be placed before the selection committee constituted under sub-section (1) of section 75.
- (3) The Selection Committee shall determine its procedure for making its recommendation and, after taking into account the suitability, integrity as well as relevant experience of the candidates, recommend a panel to be maintained by the Mediation Cell.
- (4) The panel of mediation shall consist of not more than such number of persons in the Mediation Cells attached to a Consumer Commission as may be decided by the President of that Consumer Commission.
- (5) The consent of the persons whose names are included in the panel shall be obtained before empanelling them.
- (6) The Mediation Cell shall be headed by the President of the Consumer Commission.
- 6. Removal of mediator.**—If a mediator is discovered to be disqualified or he in any manner misconducts himself as a mediator or he is otherwise found unsuitable to continue as a mediator, the Mediation Cell may remove his name from the panel of mediators after giving an opportunity of hearing to him.
- 7. Re-empanelment of mediator.**—Only such mediators shall be eligible for re-empanelment who, in the opinion of the Mediation Cell, have successfully and efficiently discharged their functions as empanelled mediators and such re-empanelment is made on the basis of the recommendation of the Selection Committee.
- 8. Fee of mediators.**—(1) A consolidated fee, in a successful mediation shall be paid to the mediator, who conducts the mediation proceedings, from the time of reference till their conclusion.
- (2) The fee of the mediator empanelled with a Consumer Commission, including costs of secretarial assistance and other ancillary expenses, shall be fixed by the President of the respective Consumer Commission, case wise, considering the nature of the dispute.
- (3) In an unsuccessful mediation, half of the aforesaid fee will be paid to the mediator.
- (4) The fee of the mediator shall be shared equally by the two sets of parties.
- (5) The mediator who successfully conducts part of the proceedings will be paid such fee as may be fixed by the President of the Consumer Commission.
- (6) The fee shall be deposited in advance, with the Mediation Cell.
- (7) If a party does not deposit his share of the fee or the cost of mediation, the Consumer Commission may, on the application of the mediator or any other party, direct the party in default to deposit the same within a week, and if—
- (i) he fails to deposit such fee or cost, the Consumer Commission may permit the other parties to deposit the same and recover the said amount, from the party in default, in the manner prescribed for the execution of a money decree by a Civil Court;
- (ii) no other party deposits the share of the party in default, the Consumer Commission may terminate the mediation proceedings.
- 9. Training.**—The mediators shall be given appropriate training in conducting mediation by such experts as may be nominated by the Mediation Cell and it shall be obligatory for them to attend such training.
- 10. Code of conduct.**—(1) The empanelled mediators shall not communicate, directly or indirectly with any of the parties or their associates, affiliates, promoters, holding companies, subsidiaries companies, directors, partners or employees or with any of their counsel during pendency of the mediation proceedings, except during the course of the mediation, in the presence of the parties or their counsel.

- (2) The empanelled mediator shall not accept any gift or hospitality from any of the parties or their associates, affiliates, promoters, holding companies, subsidiaries companies, directors, partners or employees or any of their counsel.
- (3) In addition to the disclosure required under clauses (a) and (b) of section 77 each mediator shall disclose the following information before commencement of the mediation in a case assigned to him, namely:-
 - (i) whether he has or in the past had any personal, business or professional relationship or connection with any of the parties to the consumer dispute or other proceedings or any person associated or connected in any manner, to any of the parties or their associates, affiliates, parent companies, subsidiaries companies, directors, partners or employees;
 - (ii) whether there exists any circumstance which may give rise to be reasonable doubt as to his independence and impartiality.

11. Mediation proceedings.—(1) The mediation shall be conducted in the presence of the parties or their authorised representatives or counsel.

- (2) The mediation shall stand terminated on expiry of three months from the date of first appearance before the mediator unless the time for completion of mediation is extended by the Consumer Commission, in which case it shall stand terminated on expiry of such extended time.
- (3) The parties shall be entitled to appear before the mediator in person or through their respective counsel or authorised representatives.
- (4) The mediator shall be guided by the principles of natural justice and fair play but shall not be bound by the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) or the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872).
- (5) If a party does not participate in the mediation proceedings, the Consumer Commission may direct such a party to participate in the proceedings.
- (6) The parties shall provide all such information to the mediator as may be reasonably required by him for conducting the mediation proceedings.
- (7) The record of the proceedings shall be prepared by the mediator on every date and shall be signed by the parties or their Counsel, authorised representatives or Attorneys.
- (8) The agreement executed between the parties shall be submitted by the mediator, to the Consumer Commission, in a sealed cover, with a forwarding letter.
- (9) If no agreement is executed between the parties, within the time prescribed in these regulations, the mediator shall intimate so, to the Consumer Commission, without in any manner disclosing as to what transpired during the mediation proceedings, what was the stand taken by the parties or why the agreement could not be reached.

12. Role of mediator.—(1) The mediator shall attempt to facilitate a voluntary resolution of the disputes between the parties, assist them in removing the misunderstandings, if any, and generating options to resolve their disputes, but shall not impose any term or any settlement upon the parties.

- (2) The mediator shall explain the terms of the agreement, to the parties, before obtaining their respective signatures on it.

13. Confidentiality.—(1) The parties and the mediator shall maintain confidentiality in respect of the events that transpire during the mediation proceedings and shall not use or rely upon any information, document etc. produced, the proposals and admissions made or the views expressed during the mediation proceedings.

- (2) There shall be no audio or video recording of the mediation proceedings.

14. Communications.—The mediator shall not communicate with the Consumer Commission except by way of his report, with copies to all the parties.

15. Immunity.—(1) No mediator shall be liable for any civil or criminal proceedings, for any act done or omitted to be done bonafidely by him, in his capacity as a mediator.

- (2) The mediator shall not be summoned by a party to appear in a Court or other forum, to testify in regard to any information received or the action taken by him during the mediation proceedings.

- 16. Reports.**—(1) Every Mediation Cell shall submit a quarterly report to the District Commission, the State Commission or the National Commission to which it is attached, containing the following information, namely:-
- (a) a list of its empanelled mediators, including experience and qualifications of each of them;
 - (b) the number of cases pending before it at the beginning of the quarter;
 - (c) the number of cases referred to it during the quarter;
 - (d) the number of cases disposed of during the quarter;
 - (e) the number of cases pending at the end of the quarter;
 - (f) the number of cases assigned to each mediator, the number of cases disposed of by him during the quarter and the number of cases in which the mediation referred to him was successful;
 - (g) the number of cases in which the mediation was not successful;
 - (h) the fee paid to each mediator during the quarter.
- (2) The report shall be submitted within one month of the end of each quarter.

S. HANUMANTHA RAO, Jt. Registrar
[ADVT.-III/4/Exty./138/2020-21]